भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फॅक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2005-एम.एस/ दिनांक : 21 अप्रैल,2005

परिपत्र सं. 1
(2005-2006 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो) विकेन्द्रिकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिये प्रौउनियो (20% की दर पर सीएलसीएस - प्रौउनियो) के अन्तर्गत ऋणयुक्त पूँजीगत सहायता

1. 20% सीएलसीएस - प्रौउनियो के अन्तर्गत अधिकतम 20% पूंजी सहायता के संदर्भ में स्पष्टीकरण :-

दिनांक 25 जनवरी,2005 के परिपत्र सं.6 (2004-2005 श्रृंखला) के पैरा 1 (i) का संदर्भ ग्रहण करें, जहाँ यह उल्लेख है किया गया था कि विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिए सी एल सी एस के अन्तर्गत प्रौ.उ.नि. योजना में 20% की दर से मशीनरी के लिए पूँजी संबंधी उच्चतम सीमा को रूपये 60 लाख से बढ़ाकर 1 (एक) करोड तक कर दिया गया है । इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या पूंजीगत आर्थिक सहायता 12 लाख ही रखी गयी है या यह भी रू.20 लाख तक बढ़ाई गई है । इस संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि मशीनरी के लिये उच्चतम सीमा को रू.60 लाख से बढ़ाकर रू.1 करोड तक बढ़ाया गया है , दिनांक 13 जनवरी,2005 से पूंजीगत आर्थिक सहायता की उच्चतम सीमा भी रू.12 लाख से रू.20 लाख तक बढ़ा दी गई है ।

2. विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के लिए सी एल सी एस के अन्तर्गत प्रौ.उ.नि. योजना में 20% की दर पर पूंजीगत आर्थिक सहायता की रू.12 लाख से रू.20 लाख तक बढ़ी हुई उच्चतम सीमा की पात्रता के बारे में स्पष्टीकरण ।

20% (अर्थात रू.20 लाख) तक बढ़ी हुई पूंजीगत आर्थिक सहायता की पात्रता निश्चित करने के लिए मापदंड निम्नानुसार है :-

स्वदेसी करघे : करघों की खरीद की तिथि 13 जनवरी,2005 या उसके बाद की होना आवश्यक है ।

आयातित करघे : प्रवेश का बिल 13 जनवरी,2005 या उसके बाद का होना आवश्यक है।

3. 20% कर दर पर सी एल सी एस के अन्तर्गत प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत 10 वर्ष से 15 वर्ष की विन्टेज अवधि एवं 10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि के सेकंड हैंड आयातित शटललेस करघों के बेंचमार्कड मूल्य का निर्धारण :-

दिनांक 26 फरवरी,2005 के परिपत्र सं.9 (2004-2005 श्रृंखला) के पैरा 1 (iii) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 22 फरवरी,2005 से प्रौ.उ.नि. योजना के अन्तर्गत सेकंड हैंड आयातित प्रोजेक्टाइल, रैपियर, एअरजेट तथा वॉटरजेट शटललेस करघों की विन्टेज अवधि 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जिनकी अवशिष्ट अवधि 10 वर्ष होगा ।

10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि वाली एवं 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाई गई विंटेज अवधि के सेंकड हैंड शटललेस आयातित करघों के बेंचमार्कड़ मूल्य

अनु. क्र.	**10 वर्ष की अवशिष्ट अवधि वाली एवं 10 वर्ष से 15 वर्ष तक बढ़ाई गई विंटेज अवधि के सेंकड हैंड आयातित मशीनों का विवरण**	**विशेषताएं/मॉडेल**	**आर्थिक सहायता के उद्देश्यों के लिये बेंचमार्कड़ मूल्य पर अधिकतम सीमा (रू.लाख)**
1.	टैपेट/कैम के साथ वाटर जेट करघे	चाहे गति/चौडाई कितनी भी हो ।	**3.60**
2.	डॉबी/जेक्यार्ड के साथ वाटर जेट करघे	चाहे गति/चौडाई कितनी भी हो ।	**4.40**
3.	टैपेट/कैम के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250	**9.60**
	डॉबी के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-7100, पी-7150, पी-7200, पी-7250	**11.20**
	टैपेट के साथ प्रोजेक्टाइल करघे	पी-लीन	**8.00**
4.	टैपेट/कैम के साथ एअरजेट करघे	चाहे गति/चौडाई कितनी भी हो ।	**8.40**
5.	डॉबी के साथ एअरजेट करघे	चाहे गति/चौडाई कितनी भी हो ।	**9.80**
6.	(बिना डॉबी के साथ) रैपिअर करघे	350-500 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	**1.00**
7.	(बिना डॉबी के साथ) रैपिअर करघे	501-750 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	**3.60**
8.	(बिना डॉबी के साथ) रैपिअर	750 मीटर / मि. की	**6.40**

	करघे	इन्सर्शन दर	
9.	डॉबी के साथ रैपिअर करघे	750 मीटर / मि. की इन्सर्शन दर	**8.00**

टिप्पणी :

उपरोक्त कीमतें सीआईएफ कीमतें हैं । वास्तविक सीआईएफ कीमत (उपरोक्त अधिकतम सीमा के अधीन) तथा वास्तविक सीमाशुल्क के जोड़ पर सबसिडी ग्राह्य होगी।

प्रौ.उ.नि. योजना से संबंधित उपरोक्त संशोधनों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक